न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः बीना महावर, आर0ए0एस0)

पत्रावली संख्या : 51/2020 प्रार्थना पत्र (खा.सु.अ.)

जगदीश प्रसाद गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर।

आवेदक

बनाम

रामू पुत्र गंगा सहाय उम्र 23 साल जाति जाट मालिक एवं विक्रेता रंजीता मिष्ठान भण्डार रेलवे फाटक के पास नदबई जिला भरतपुर निवासी गांव बैलारा तहसील नदबई जिला भरतपुर

गैरसायल

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011.

उपस्थित :– 1. प्रार्थी (सायल)
2. गैरसायल के अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सिंह यादव

निर्णय

दिनांक : 19.01.2021

आवेदक द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत विरूद्ध गैरसायल दिनांक 12.12.2018 को प्रस्तुत किया गया है। गैरसायल को नोटिस जारी किया गया। गैरसायल मय वकील दिनांक 19.02.2019 को उपस्थिति हुआ। इस्तगासा की नकल गैरसायल के वकील को दी गई। नियत दिनांक 19.01.2021 को गैरसायल के वकील को इस्तगासा में अंकित आरोप सुनाया गया कि दिनांक 22.08.2018 को प्रातः 11.00 बजे गैरसायल की दुकान का निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण दुकान में 14 किग्रा0 मीठा घेवर (सोया रिफाईण्ड से निर्मित) का विक्रय आम जनता के इस्तेमाल के लिये कर रहा था। जिसमें शक होने पर नियमानुसार मौके पर 2 किग्रा0 मीठा घेवर (सोया रिफाईण्ड से निर्मित) 280/–रूपये में क्रय किया गया तथा उसमें से नमूना लिया

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
भरतपुर (राज.)

गया तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर द्वारा खाद्य विश्लेषक अलवर के यहां जांच हेतु भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/520/एक्ट/2018/539 दिनांक 04.09.2018 द्वारा उक्त मीठे घेवर (सोया रिफाईण्ड से निर्मित) का नमूना अवमानक स्तर (Sub Standard) प्रकृति का पाया गया है।

आरोपो को सुन व समझकर गैरसायल के वकील ने कथन किया कि यह प्रोडेक्ट मानव सेवन के लिये कतई हानिकारक नहीं है क्योंकि प्रार्थी काफी समय से मीठे घेवर का निर्माण करके विकय करता चला आ रहा है। जांच में जो कमिया पायी गई है उन्हे सहवनवश एवं प्रथम गलती स्वरूप अप्रार्थी स्वीकार करता है। जिसका मेरे द्वारा तत्समय ही सुधार कर लिया गया है। गैरसायल की यह त्रुटि सहवन से होने के कारण आरोप को स्वीकार करता है। भविष्य में गैरसायल अधिक सजगता बरतते हुये किसी भी खाद्य पदार्थ का आम जनता के लिये विकय करेगा। गैरसायल की प्रथम गलती है। अत: गैरसायल के प्रति नरम रूख अपनाते हुए जुर्माना किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायल के कथनों पर गौर किया। वक्त निरीक्षण दिनांक 22.08.2018 को गैरसायल की दुकान से आमजनता के विकय हेतु संग्रहित 14 किग्रा0 मीठे घेवर का नमूना लिया गया है। जो खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट दिनांक 04.09.2018 में अवमानक स्तर (Sub Standard) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल वकील के द्वारा मीठे घेवर का निर्माण विकय करना बताया। गैरसायल के द्वारा भविष्य में अधिक सजगता से खाद्य पदार्थों का विकय किया जाना दौराने सुनवाई स्वीकार किया गया है। ऐसी स्थिति में गैरसायल को भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता नहीं करने की चेतावनी दी जाती है। गैरसायल के द्वारा उक्त अनियमितता प्रथम बार किया जाना स्वीकार किया गया है। अत: उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत गैरसायल के द्वारा की गई अनियमितता के आधार पर 20000/- रूपये (बीस हजार रूपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। गैरसायल अर्थदण्ड की राशि नियमानुसार खजकोष में जमा करावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दि. 19.01.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बीना महावर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)